(1

फा.सं0 21034/7/2013-राभा(प्रशि)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली सिटी सेंटर-2,बिल्डिंग,

निकट जंतर-मंतर, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1

दिनांक 18 मार्च 2015

कार्यालय ज्ञापन 20 MAR 2015

विषय:- हिंदी शिक्षण योजना के तहत हिंदी भाषा, हिंदी टंकण तथा आशुलिपि परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वैयक्तिक वेतन एवं नकद पुरस्कार के संबंध में स्पष्टीकरण ।

भारत सरकार की राजभाषा नीति संबंधी संविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, राजभाषा विभाग को सौंपे गए उत्तरदायित्व को देखते हुए संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व राजभाषा विभाग का है ।

2. केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण दिलाने हेतु केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना द्वारा हिंदी प्रबोध/प्रवीण तथा प्राज्ञ तथा हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि के प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से चलाए जाते हैं । प्रशिक्षार्थियों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत आयोजित परीक्षाएं पास करने पर विभिन्न प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान है ।

3. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस संदर्भ में राजभाषा विभाग के अद्यतन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें, जो कि राजभाषा विभाग की वेबसाइट (rajbhasha.nic.in) पर उपलब्ध हैं

रमेश 18/3/2015

(रमेश कुमार सुमन)

निदेशक (प्रशि)

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि ।